

ग्राम सभा द्वारा अपने स्वयं के सामुदायिक अधिकार के दावे (प्ररूप-ख) के संबंध में पारित किये जाने वाले
संकल्प का मार्गदर्शी नमूना

१. ग्राम सभा की वन अधिकार समिति द्वारा सामुदायिक अधिकारों के संबंध में तैयार किये गये दावे पर आज दिनांक को ग्राम सभा की बैठक में विचार किया गया। चूंकि अधिकार से संबंधित वन भूमि / संसाधन का उपभोग सीमावर्ती ग्राम सभा तथा द्वारा भी किया जाता है, अतः वन अधिकार समिति द्वारा उक्त ग्राम सभा / ग्राम सभाओं की वन अधिकार समिति / वन अधिकार समितियों के साथ, उक्त वन भूमि / संसाधन के (साझा) उपभोग के संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक तारीख को स्थान में हुई। इस बैठक में :-

- संबंधित सभी ग्राम सभाओं द्वारा वन संसाधन के पूर्ववत् साझा उपभोग के संबंध में सहमति हुई।
- ग्राम सभा द्वारा, उक्त अधिकार के उपभोग पर निम्नांकित आपत्ति की गई है :

२. आज की बैठक की पूर्व सूचना सीमावर्ती ग्राम सभा / सभाओं नामशः तथा को तथा उपखण्ड स्तर समिति और वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी (पदनाम) को भी दी गई थी। उनकी ओर से –

- कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
- निम्नांकित प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :-
वन विभाग की ओर से : _____

उपखण्ड स्तर समिति की ओर से : _____

३. दावे के संबंध में :

- (i) वन विभा की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई / निम्नांकित आपत्ति की गई :-

(ii) सीमावर्ती ग्राम सभा की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई / निम्नलिखित आपत्ति की गई :

४. संबंधित पक्षों को सुनने और उपरोक्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा निम्नांकित संकल्प पारित किया गया :-

वन अधिकार समिति द्वारा किये गये दावे का अनुमोदन किया जाता है / निम्नांकित संशोधन के साथ अनुमोदन किया :

तारीख :

.....

.....

(अध्यक्ष)

(सचिव)

ग्रामसभा

ग्रामसभा